न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर
= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

निग | 8656-III-15

प्र० क्र० / निगरानी 2015

ओंकारलाल पिता दुलीचन्द्र आयु 62 वर्ष
निवासी ग्राम जलोदिया तहसील बडनगर
जिला उज्जैन (म०प्र०) ----- आवेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री.
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 25/9/15
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरुद्ध

01. विद्यापति पति राजेन्द्र कुमार
02. राजेन्द्र कुमार पिता चिरोंजीलाल
दोनों निवासी आजाद चौक बडनगर जिला उज्जैन

:: विष्णुदयाल मृत वारिस ::

03. ओमप्रकाश पिता विष्णुदयाल
04. ममता पिता विष्णुदयाल
05. किरण पिता विष्णुदयाल
निवासीगण ग्राम जलोदिया तह.बडनगर

:: कमलबाई मृत व्दारा वारिस ::

06. शिवनारायण 07. भरत कुमार
08. श्रवण कुमार 09. पवन कुमार
10. धर्मेन्द्र कुमार 11. रेखाबाई
12. गिरजाबाई
सभी निवासीगण आजाद चौक बडनगर
तहसील बडनगर जिला उज्जैन

:: गंगाबाई मृत वारिसान ::

13. अरूण कुमार
14. उमेश कुमार
15. अनसुईया
समस्त निवासीगण ग्राम जलोदिया तहसील
बडनगर जिला उज्जैन

निर..2/

राजस्व मण्डल न्यायालय मध्यध्यप्रदेश ग्वालियर

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

निग.प्र.क्र./3656-III/2015 जिला उज्जैन

ओंकार विरुद्ध विद्यापति आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
4/3/16	यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 119/2010-11/अपील में पारित आदेश दिनांक 20-7-2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत् प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी आवेदन में वर्णित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक ग्राह्यता पर प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदक एवं अनावेदकगण के संयुक्त खाते पर ग्राम जलोदिया में कुल किता 13 कुल रकवा 16.76 हैक्टेयर भूमि थी। इस भूमि का नामांतरण/बंटवारा ग्राम की नामांतरण पंजी के सरल क्रमांक 29 पर आदेश दिनांक 31-10-2006 से किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर के समक्ष प्रथम अपील 29-5-2009 को (2 वर्ष 7 माह के अंतर से) प्रस्तुत हुई। अपील मेमो के संलग्न अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बताया गया कि जब 4-5-09 को खाते की नकल प्राप्त की गई, तब आवेदक को तहसीलदार बड़नगर के आदेश दिनांक 10-12-06 की जानकारी हुई एवं जानकारी होने पर अपील प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर ने 29 माह तक खाते की नकल खातेदार द्वारा न लेना एवं खाते की नकल 4-5-09 को प्राप्त करने का कारण समाधानकारक न बताये जाने से प्रकरण क्रमांक 51/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-12-10 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन ने द्वितीय अपील में उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्कों की विस्तृत विवेचना की। अपर आयुक्त के आदेश	

राजस्व मण्डल न्यायालय मध्यध्यप्रदेश ग्वालियर

--

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

निग.प्र.क्र./3656-III/2015 जिला उज्जैन

ओंकार विरुद्ध विद्यापति आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
4(3)16	में प्रार्थी अभिभाषक ने तर्क में अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में विलम्ब से प्रस्तुत अपील को समयावधि में मानने के तर्क दिए वहीं अपर आयुक्त के आदेश में उल्लिखित अनुसार रेस्पोंडेंट अभिभाषक द्वारा भी इसी प्रकार के तर्क दिए जिससे प्रकट होता है कि रेस्पोंडेंट भी अपीलार्थी के तर्क से सहमत है कि अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी पर किया गया आदेश अपीलार्थी को बिना सूचना दिए दिया गया है। यदि रेस्पोंडेंट अभिभाषक द्वारा भी इसी प्रकार का तर्क दिया गया है तो अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने का आदेश त्रुटिपूर्ण है। यदि रेस्पोंडेंट अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में उक्त प्रकार का तर्क नहीं दिया गया है तो फिर प्रकट होता है कि अपर आयुक्त द्वारा आदेश लिखने में लापरवाही तथा सारवान त्रुटि की है तथा अपने स्वयं के विवेक का उपयोग नहीं किया गया। दोनों ही स्थितियों में अपर आयुक्त का आदेश प्रथम दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण प्रकट होता है जो स्थिर रखने योग्य नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह न्यायालयों का अभिलेख मंगाए तथा यह देखें कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सूचना दिए बिना आदेश पारित किया गया तथा उसे उक्त आदेश की जानकारी वास्तव में कब तथा किस प्रकार से हुई? उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर गुण-दोषों के आधार पर स्पीकिंग आदेश पारित करें। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	